शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०
06 JAN 2018
शिमला - 1

संख्याः शिक्षा–एच(20)जी–जलपान/2016
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

दिनांकः शिमला–171001 2018

निविदा सूचना

अवधि जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक शिक्षा निदेशालय हि0 प्र0 शिमला–1 की कैन्टिन चलाने के लिए सील बन्द लिफाफे में निविदाऐं व्यवसायिक खान–पान प्रबन्धकों से आमन्त्रित की जाती है । जिनके पास इस सम्बन्ध में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो (अनुभव प्रमाण पत्र संल्गन होना चाहिए), वे निविदाऐं दिनांक 18.01.18 को 2.00 बजे या इससे पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन) शिक्षा निदेशालय के पास प्रस्तुत/प्रेषित करें । निविदाऐं उसी दिन सांय 3.00 बजे खोली जाऐंगी । टेन्डर के साथ प्रतिभूति राशी 10,000/– रूपये नकद रूप से या बैंक ड्राफट जो कि शिक्षा निदेशक उच्च के नाम हो , जमा करवाना होगा अन्यथा टैन्डर स्वीकार नहीं होगा । लिफाफे के उपर निविदाऐं कैन्टिन शिक्षा निदेशालय 2018–2019 अंकित किया जाए । विभाग द्वारा खाध्य पदार्थों की निर्धारित दरें निम्नलिखित शर्तों पर आमन्त्रित है।

1) इस टैन्डर की अवधि कम से कम एक वर्ष होगी 31.03.2019
2) कैन्टिन के लिए फर्नीचर इत्यादि विभाग का होगा , उसे सुरक्षित रखना कैन्टिन ठेकेदार का कर्तव्य होगा । यदि इसमें किसी प्रकार की टूट–फूट होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति कैन्टिन ठेकेदार को करनी होगी ।
3) कैन्टिन खोलने का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे हर रोज कार्यालय खुले रहने के प्रत्येक दिन होगाा । इस समय में परिवर्तन शिक्षा निदेशक के लिखित आदेश से ही होगा ।
4) कैन्टिन के लिए पानी/बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा ।
5) यदि कैन्टिन ठेकेदार कर्मचारियों /विभाग के हित में कार्य नही करेगा तथा खाध्य पदार्थों की गुणवता /वजन/दर ठीक न पाये जाने पर उसे एक माह का नोटिस देकर उसका टेन्डर रदद किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त उक्त कमी के कारण उसकी प्रतिभूति राशी में से शिक्षा निदेशक के निर्णययानुसार राशी जब्त की जा सकेगी ।
6) कैन्टिन ठेकेदार को शिक्षा निदेशक के नाम बिजली व पानी की प्रतिभूति (जमानत) राशी अलग से 10,000/– रूपये कोषाध्यक्ष के पास जमा जमा करवानी होगी ।

7) कैन्टिन होल्डर को कैन्टिन के परिसर को प्रतिदिन साफ रखना होगा । कैन्टिन में कोई बाहरी व्यक्ति निवास नही करेगाा तथा कैन्टिन कर्मचारी ही कैन्टिन में रात्री ठहराव कर सकेंगे । अनाधिकृत व्यक्ति के कैन्टिन में पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना सूचना दर ठेका रदद कर दिया जाएगा ।

8) कैन्टिन में नशीली वस्तुएं जैसे शराब , सिगरेट , तम्बाकू गुटका इत्यादि रखने पीने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगा ।

9) यदि उपरोक्त दी गई सभी हिदायतें / शर्तें स्वीकार हो तो निविदा देने वाला अपनी निविदा शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला–1 को दिनांक 15.01.18 को 2.00 बजे तक मु0 10,000/– प्रतिभूति राशी सहित प्रस्तुत /प्रेषित कर सकता है। बन्द लिफाफे पर टेन्डर शिक्षा निदेशालय कैन्टिन अंकित होना चाहिए ।

10) ठेकेदार प्रतिमास अग्रिम रूप से प्रशासन के पास मुवलिग 2000/– रूपये की राशी जमा करवायेगा जो कैन्टिन के रख रखाव के लिए खर्च की जाएगी ।

11) जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत नही होगी उसे उसकी जमानत राशी का भुगतान निविदा का निर्णय होने के तुरन्त बाद वापिस कर दिया जाएगा ।

12) किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार शिक्षा निदेशक को होगा जिसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नही होगी ।

13) किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्रशासन) को होगा ।

14) संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन) के निर्णय के विरूद्व अपील शिक्षा निदेशक को की जा सकेगी तथा शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम तथा सभी को मान्य होगा ।

15) किसी भी वाद विवाद का निपटारा शिमला क्षेत्र में पड़ने वाले न्यायलय में ही होगा ।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश